

Vidhan Sabha Question  
Immediate/Out Today

**Govt. of National Capital Territory of Delhi**  
**Office of the Commissioner Food Supplies and Consumer Affairs**  
**K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002**  
**(Coordination Branch)**

e-mail:-fsocoordination@gmail.com

File No. F.3 (20)/DLA/Coord/F&S/2022 /041

Date:- 25-03-2022

To

The Dy. Secretary (Question Branch),  
Delhi Legislative Assembly,  
Old Secretariat,  
Delhi-54

Sub: - Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No. 119 asked by Shri Abhay Verma, MLA due for answer on 28/03/2022.

Sir,

With Reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,



(Rajesh Ahuja)

Asstt. Commissioner, F&S

File No. F.3 (20)/DLA/Coord/F&S/2022/041

Date:- 25-03-2022

Copy for information:

Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

ole

## विभाग का नाम:- खाद्य एवं आपूर्ति

विभाग का पता:- के-ब्लॉक विकास भवन, आईपी इस्टेट  
नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या: 119

दिनांक: 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री अभय वर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राशन कार्ड धारी हैं और कितने-कितने यूनिट राशन का वितरण किया जा रहा है;	लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में 13417 राशन कार्ड के अंतर्गत कुल 52037 यूनिट का राशन का वितरण किया जा रहा है।
(ख) लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 से अब तक कुल कितने लोगों ने अपने नये राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है, कितने लोगों को नये राशन कार्ड बनाकर दी दिए गए है और कितने आवेदन विभाग में अभी तक लंबित हैं;	लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड के लिए 01.01.2017 से 15.03.2022 तक प्राप्त कुल आवेदन 2236 है। इसमें से 20 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, 118 खारिज कर दिए गए है और 2098 आवेदन 15.03.2022 तक लंबित है।
(ग) क्या दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना लागू कि गयी है ;	जी हाँ।
(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण है ;	उपरोक्त (ग) के अनुसार ,लागू नहीं।
(ङ) इस योजना से दिल्ली सरकार व दिल्ली की जनता को क्या-क्या नुकसान है;	दिल्ली में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में कोई दुष्प्रभाव संज्ञान में नहीं है।
(च) क्या कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड से उसी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकता है; और	जी हाँ।
(छ) यदि हाँ, तो राशन दुकानदार द्वारा राशन कार्ड धारी को राशन न देने पर दुकानदार के खिलाफ क्या कार्रवाही कि जाती है?	नियमानुसार जोनल ए सी द्वारा शिकायत सत्यापित होने पर उचित कार्रवाही की जाती है।

Secretary-Cum-Commissioner  
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate  
New Delhi-110002

(ज) क्या राशन दुकान पर विजिलेंस कमेटी कि बोर्ड लगायी जाती है, यदि हाँ, तो जो दुकानदार बोर्ड नहीं लगाता है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाही कि जाती है;	उपरोक्तानुसार।
(झ) जो राशन दिल्ली कि जनता को दिया जाता है, उसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है;	<p>एनएफएसए (NFSA) के तहत दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला सामान्य खर्च लगभग 117 करोड़ रु. है। COVID-19 के कारण, दिल्ली सरकार लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न दे रही है, जिसका अतिरिक्त व्यय 91 करोड़ रु है।</p> <p>एनएफएसए (NFSA) के तहत वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए कुल व्यय लगभग 208 करोड़ रु है, लगभग 29.25 करोड़ केंद्र द्वारा केंद्रीय सहायता के तौर पर प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त राशन बाटने के लिए दिया गया जिसके वितरण में परिवहन एवं एफ पी एस दुकानदार को कमीशन के तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल खर्च लगभग रु. 102 करोड़ है, लगभग 50 करोड़ केंद्र द्वारा केंद्रीय सहायता के तौर पर प्राप्त किया जाएगा।</p>
(ञ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली कि जनता को दिया जाने वाला राशन दिल्ली सरकार को केंद्र से मिलता है ?	जी हाँ।

  
 Secretary-Cum-Commissioner  
 Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate  
 New Delhi- 110002